न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 4/2020 (Bank Case)

बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा– दादाबाडी विस्तार योजना, कोटा (राज0) जरिये प्राधिकृत अधिकारी

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. मैसर्स आकृति लैण्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड (ऋणी/बन्धनकर्ता)
   पता– 1. श्रीनाथ एनक्लेव, एमबीएस नगर, स्टेशन रोड, कोटा, जिला– कोटा (राज0)
   2. श्रीनाथ ओएसिस, खेडली फाटक, स्टेशन रोड, कोटा जिला– कोटा (राज0)
   3. प्लॉट नं0 1ए, 1बी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 व 9ए, खसरा नं0 92, 94 से 100 पर, मॉडल टाउन योजना, रॉयल टाउन, खेडली पुरोहित, स्टेशन रोड, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (राज0)
2. श्री पुरूषोत्तम दयाल दुबे पुत्र श्री नाथूलाल दुबे (डायरेक्टर एवं गारन्टर)
   पता– 602, श्रीनाथ एनक्लेव, स्टेशन रोड, कोटा, जिला कोटा, राज0
3. श्री ललित किशोर चतुर्वेदी पुत्र श्री श्याम सुन्दर चतुर्वेदी (डायरेक्टर एवं गारन्टर)
   पता– बी–89, इन्द्रा विहार, कोटा, जिला– कोटा, राजस्थान
4. श्री नरेश शर्मा पुत्र श्री प्रेमनारायण शर्मा (डायरेक्टर एवं गारन्टर)
   पता– 1. बी–105, श्रीनाथ एनक्लेव, एमबीएस नगर, स्टेशन रोड, कोटा, जिला– कोटा (राज0)
   2. 604, श्रीनाथ एनक्लेव, स्टेशन रोड, कोटा, जिला– कोटा, राज0

– अप्रार्थीगण/ऋणी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः– श्री अविनाश ठाकुर, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः .01.2020

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा– दादाबाडी विस्तार योजना, कोटा (राज0) से अप्रार्थीगण ने दिनांक 19.06.2014 को रूपये 15,00,00,000/–(अक्षरेः रूपये पन्द्रह करोड मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति मैसर्स आकृति लैण्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड की प्लॉट नं0 1ए, 1बी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9ए, खसरा नं0 92, 94 से 100, मॉडल टाउन स्कीम, रॉयल टाउन, खेडली पुरोहित, स्टेशन रोड, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा राजस्थान स्थित सम्पत्ति(बैंक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल 17511.25 वर्ग फीट) तथा मैसर्स आकृति लैण्डकॉपन प्राइवेट लिमिटेड की दृष्टिबन्धक करन्ट असेट्स इत्यादि (हाईपोथिकेशन एग्रीमेन्ट 19.06.2014 में विस्तृत रूप से परिभाषित)**, को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज0)

Scanned by CamScanner

में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 30.09.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थीगण के खातों मे 9,42,54,749/— (अक्षरे रूपये नौ करोड बियालीस लाख चौवन हजार सात सौ उन्नचास मात्र) बकाया रकम दिनांक 29.09.2019 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 07.10.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 07.10.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत दिनांक 07.10.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता **अचल सम्पत्ति मैसर्स आकृति लैण्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड की प्लॉट नं0 1ए, 1बी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9ए, खसरा नं0 92, 94 से 100, मॉडल टाउन स्कीम, रॉयल टाउन, खेडली पुरोहित, स्टेशन रोड, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा राजस्थान स्थित सम्पत्ति(बैंक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल 17511.25 वर्ग फीट) तथा मैसर्स आकृति लैण्डकॉपन प्राइवेट लिमिटेड की दृष्टिबन्धक करन्ट असेट्स इत्यादि (हाईपोथिकेशन एग्रीमेन्ट 19.06.2014 में विस्तृत रूप से परिभाषित)**, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक .01.2020 को सुनाया गया।

(ओम कसेरा)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

Scanned by CamScanner